N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0159 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 20/06/2025 19:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/05/2025 Date To (दिनांक तक): 19/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 20:20 बजे Time To (समय तक): 13:45 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/06/2025 Time (समय): 15:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 20/06/2025 19:15:34 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 45 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): RELWAY STATION TIRAHA, KASBA ROOPWAS

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** SURESH
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMCHANDRA
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1972 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KALIYA KI DHANDEE, POLICE THANA TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KALIYA KI DHANDEE, POLICE THANA TIJARA, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PRATHVEERAJ		पिता:NATTHE SINGH	1. KALYANPUR,BHARATPUR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**
9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 5,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं सुरेश पुत्र रामचंद्र जाति धीमर निवासी कालिया की ढांणी पुलिस थाना तिजारा जिला खैरथल तिजारा का रहने वाला हूं। पुलिस थाना गहनोली मोड जिला भरतपुर में मेरे पुत्र राजकुमार के नाम पंजीकृत गाडी ईको नम्बर आर.जे. 40 सीबी 5636 का एक्सीडेंट के बाद मुकदमा नम्बर 84/25 दर्ज है उक्त मुकदमें में हमारी गाडी जब्त है। मुकदमा नम्बर 84/25 का अनुसंधान श्री पृथ्वीराज थानेदार पुलिस थाना गहनोली मोड कर रहें हैं। पृथ्वीराज थानेदार जी मुझसे गाडी को छुडवाने व मुकदमें में मदद करने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। और रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी थानेदारजी से कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई लेनदेन बकाया है। हमारी ईको गाडी पुलिस थाना गहनोली मोड पर खडी हुई है। उक्त एक्सीडेंट के सम्बंध में मेरे द्वारा पुलिस थाना गहनोली मोड मे भी मुकदमा नम्बर 83/25 दर्ज कराया गया है। कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी सुरेश, प्रार्थी सुरेश पुत्र रामचंद्र जाति धीमर निवासी कालिया की ढांणी पुलिस थाना तिजारा जिला खैरथल तिजारा मो0 [redacted], दिनांक 20.05.25 एसडी अमित सिंह अति0 पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर 20.05.25, एसडी कृष्णगोपाल 19.06.25 एसडी श्री जीतेन्द्र कश्यप 19.06.25 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 20.05.25 को समय 08.20 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेश पुत्र श्री रामचंद्र उम्र 53 साल जाति धीमर निवासी कालिया की ढांडी पुलिस थाना तिजारा जिला खैरथल तिजारा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को इस आशय की पेश की कि मैं सुरेश पुत्र रामचंद्र जाति धीमर निवासी कालिया की ढांणी पुलिस थाना तिजारा जिला खैरथल तिजारा का रहने वाला हूं। पुलिस थाना गहनोली मोड जिला भरतपुर में मेरे पुत्र राजकुमार के नाम पंजीकृत गाडी ईको नम्बर आर.जे. 40 सीबी 5636 का एक्सीडेंट के बाद मुकदमा नम्बर 84/25 दर्ज है उक्त मुकदमें में हमारी गाडी जब्त है। मुकदमा नम्बर 84/25 का अनुसंधान श्री पृथ्वीराज थानेदार पुलिस थाना गहनोली मोड कर रहें हैं। पृथ्वीराज थानेदार जी मुझसे गाडी को छुडवाने व मुकदमें में मदद करने की एवज में 10,000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। और रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी थानेदारजी से कोई पुरानी रंजिश नही है और नाही कोई लेनदेन बकाया है। हमारी ईको गाडी पुलिस थाना गहनोली मोड पर खडी हुई है। उक्त एक्सीडेंट के सम्बंध में मेरे द्वारा पुलिस थाना गहनोली मोड मे भी मुकदमा नम्बर 83/25 दर्ज कराया गया है। कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे परिचित द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं पृथ्वीराज थानेदारजी ने 5,000 रूपये मेरे से तीन चार दिन पहले ले लिए हैं। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के मालखाना से श्री अवधेश कुमार हैड कानि. नं. 68 से निकलवाकर परिवादी श्री सुरेश को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री सुरेश को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं श्री रीतरामसिंह स. उ.नि. को परिवादी की किराये की कार से पुलिस थाना गहनोली मोड भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 3.50 पी.एम. पर श्री रीतराम स0उ0नि0 मय परिवादी श्री सुरेश के रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आया। श्री रीतराम सिंह स0उ0नि0 से वॉईस रिकॉर्डर को जरिये फर्द प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं और श्री रीतराम जी आपके कार्यालय से रवाना होकर किराये की कार से आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना गहनोली मोड पहुंचा थाने पर पृथ्वीराज थानेदारजी उपस्थित मिले जिससे मैने मेरी एक्सीडेन्टशुदा गाडी को छोडने के लिए कहा तो उसने कहा कि आपकी गाडी छूट जायेगी परन्तु 5000/- रूपये मुझे देने पडेंगे। मेरे से अभी 2000/- रूपये ले लिये है एवं 3000/- रूपये जिस दिन न्यायालय से गाडी छोडने के आदेश होगें उस दिन लेगा। इसके बाद मै व रीतराम सिंह एएसआई

साहब पुलिस थाना गहनोली मोड से रवाना होकर आपके कार्यालय आ गये।उक्त वार्तालाप मैने रीतराम सिंह एएसआई साहब को भी बताई थी। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक द्वारा की गई। श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक से जरिये फर्द प्राप्तशुदा वॉईस रिकॉडर्र कर चालू कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी श्री सुरेश ने बताया कि मुझे किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना है इस पर वॉईस रिकॉर्डर में से मैमोरी कार्ड निकालकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जावेगा। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा बुलाने पर कार्यालय में मय रिश्वत राशि 3,000 रूपये के उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 05.06.25 को समय 08.15 ए.एम. पर परिवादी सुरेश उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि थानेदारजी ने मुझे गाडी लेने हेतु न्यायालय जाकर आदेश लाने को कहा है और मुझे गाडी ले जाने के बाद किसी और दिन आकर मिलने की कहा है इस पर परिवादी श्री सुरेश को गाडी छुडाने के आदेश लाने हेतु रूपवास न्यायालय रवाना किया जाने पर समय 01.30 पी.एम. पर उपस्थित कार्यालय आया और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज न्यायालय से आदेश नही हुये है एवं मेरे वकील साहब ने मुझे गाडी छुडवाने के लिए दिनांक 19.06.2025 को न्यायालय में बुलाया है। इस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आप दिनांक 19.06.25 को रिश्वत राशि 3,000 लेकर कार्यालय में उपस्थित होंवे बाद हिदायत परिवादी को रूखसत किया गया। इसके बाद दिनांक 19.06.25 को समय 09.00 ए.एम. पर परिवादी सुरेश उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि थानेदारजी ने मुझे गाडी लेने हेतु बुला रहे हैं और मैं रिश्वत राशि 3,000 रूपये का इंतजाम करके लाया हूं । इस पर परिवादी को कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.30 ए.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गहावान की आवश्यकता होने पर श्री सतेन्द्र सिंह कानि0 45 को स्वतन्त्र गवाह को पाबन्द करने हेतु निदेशक वाणिज्यिक कर विभाग भरतपुर के पदनाम तहरीर देकर रवाना करने पर समय 10.00 ए.एम. पर श्री सतेन्द्र सिंह कानि0 रवाना शुदा मय दो स्वतंत्र गवाहान लेकर उपस्थित कार्यालय आया । उपरोक्त गवाहान से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होंने अपना-अपना नाम क्रमशः कृष्णगोपाल पुत्र श्री शेर सिंह जाति ब्राहमण उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोस्ट सुनारी पुलिस थाना चिकसाना जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन),राज्य कर विभाग,भरतपुर एवं जितेन्द्र कश्यप पुत्र श्री अशोक कुमार कश्यप जाति कश्यप उम्र 32 साल निवासी गोपालगढ सेढ का मठ पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यलय अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन),राज्य कर विभाग,भरतपुर होना बताया। कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री सुरेश से आपस में परिचय करवाकर ट्रेप कार्यवाही से अवगत कराते हुए परिवादी द्वारा दिनांक 20.05.25 को पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट को दोनों गवाहों को पढने को दी गई एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति ली गई तो दोनो गवाहों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 10.15 ए.एम. पर मौतबिरान के समक्ष मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री सुरेश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति धीवर उम्र 52 साल निवासी तिजारा वार्ड नं. 16 पुलिस थाना तिजारा जिला खैरथल तिजारा (अलवर) से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से 06 नोट पांच-पांच सौ रूपये के कुल 3000/- रूपये निकालकर पेश किये उक्त नोटों के नम्बर क्रमशः 9KT183814 , 8VP466736 , 4EE230833 , 2AS429559, 3EN417670, 6UW464540 हैं। उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 से मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सतेन्द्र कानि नं.45 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री सुरेश की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कृष्णगोपाल से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 3000/-रूपये के नोटों को श्री सतेन्द्र कानि नं.45 से परिवादी की पहनी हुई शर्ट की सामने की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर रिश्वत स्वीकृति प्राप्त करने का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद गवाह श्री जितेन्द्र कश्यप से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतेन्द्र कानि नं.45 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 के माध्यम से मालखाना में रखवाया

गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। श्री सतेन्द्र कानि नं.45 को बाद हिदायत कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 10.50 ए.एम. पर श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय परिवादी श्री सुरेश को मय परिवादी की किराये की कार से आगे-आगे रवाना कर उनके पीछे-पीछे श्री अवधेश हैडकानि. नं. 68, श्री परसराम कानि. नम्बर 203, श्री विनोद सिंह कानि. नं. 114 , श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 एवं श्री दिलीप सिंह कानि. नं. 610 को मय प्राइवेट वाहन के रवाना कर उनके पीछे-पीछे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री लोकेश कुमार कानि. नं. 85 , श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी बोलेरो मय चालक श्री धर्मवीर सिंह नं. 337 के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी के बताए अनुसार रूपवास रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 11.35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा न्यायालय परिसर रूपवास के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने न्यायालय परिसर रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, व इनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के न्यायालय परिसर के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया । तत्पश्चात समय 12.24 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेश बिना कोई इशारा किए न्यायालय परिसर से वापस आया और उसने बताया कि थानेदार जी ने अभी रिश्वत राशि नही ली है एवं कोई रिश्वत लेनदेन सम्बंधी वार्ता भी रिकॉर्ड नही हुई है। तत्पश्चात समय 12.25 पी.एम. पर परिवादी को आरोपी से मिलने न्यायालय परिसर रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, व इनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के न्यायालय परिसर के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पश्चात समय 01.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेश बिना कोई इशारा किए न्यायालय परिसर से वापस आया और उसने बताया कि थानेदार जी ने अभी रिश्वत राशि नही ली है एवं कोई रिश्वत लेनदेन सम्बंधी वार्ता भी रिकॉर्ड नही हुई है । तत्पश्चात समय 01.34 पी.एम. पर परिवादी को आरोपी से मिलने न्यायालय परिसर रवाना किया जाकर परिवादी के हमराह श्री रीतराम सहायक उप निरीक्षक, व इनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के न्यायालय परिसर के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया तत्पश्चात समय 01.45 पी.एम. पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को परिवादी श्री सुरेश के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ता के रेल्वे स्टेशन तिराया कस्बा रूपवास के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री सुरेश उपस्थित मिला। जिसने मन अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि पृथ्वीराज थानेदार जी ने अभी अभी मेरे से रिश्वत के 5,000 रूपये लेकर के अपनी पहनी हुई वर्दी के पेंट की बांयी तरफ की जेब में गिनकर रख लिये हैं। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास खडे हुए बावर्दी व्यक्ति की नेमप्लेट पर देखा तो पृथ्वीराज के नाम की नेमप्लेट लगी हुई है जिस पर अपना व हमराहीयान का परिचय दिया तो आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक अपने हाथों को रगडने लगा एवं पूछने पर बताया कि परिवादी के कार्य करने की पत्रवाली दुकान पर ही रखी हुई है और मेरी सरकारी मोटर साइकिल भी खडी हुई है उसे ले लो। तत्पश्चात आरोपी का दांया हाथ कलाई से ऊपर श्री रीतरामसिंह सहायक उप निरीक्षक व बांया हाथ कलाई के ऊपर से श्री परसराम कानिस्टेबल नं. 203 से पकडवाया गया एवं दुकान पर बाहर रखी हुई फाइल को लेकर अवलोकन किया गया तो उक्त फाइल प्रकरण सं. 84/25 है जो परिवादी के लंबित कार्य से सम्बंधित है जिसको पृथक से जब्त किया जावेगा। तत्पश्चात परिवादी के बताए अनुसार आरोपी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कृष्णगोपाल से लिवाई गई तो आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक की वर्दी के पेंट के बांयी जेब में छः नोट पांच-पांच सौ रूपये के व चार नोट पांच-पांच सौ रूपये के मिले , उक्त राशि का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो उक्त छः नोटों का मिलान होना पाया गया एवं आरोपी पृथ्वीराज के पहने हुए पेंट की दांयी तरफ की पीछे की जेब में पर्स मिला। उक्त रिश्वत राशि बरामदगी कार्यवाही की विडियो ग्राफी मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा विभागीय वीडियो कैमरा मय मेमारी कार्ड से की गई। उक्त रिश्वत राशि फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुए छः नोट पांच-पांच सौ रूपये के नोट कुल 3000 व दौराने लेनेदेन अतिरिक्त मांगे गये 2,000 रूपये के चार नोट पांच पांच सौ रूपये के नोटों का विवरण क्रमशः 9KT183814 , 8VP466736 , 4EE230833 , 2AS429559, 3EN417670, 6UW464540, 1PE643948 , 6SE769745 , 9BD630754 , 4CA785573 हैं। उक्त रिश्वत राशि को गवाह श्री कृष्णगोपाल के पास ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को

पूर्व में सुपुर्दशुदा वॉइस रिकॉर्डर को बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा गया। उक्त स्थान पर काफी भीडभाड हो जाने से व कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक को हाथ पकडी हुई अवस्था में अपनी सरकारी गाडी बोलेरो में बिठाकर मय जाब्ता , परिवादी व स्वतंत्र गवाह ,मय रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स लेपटॉप प्रिन्टर एवं आरोपी की सरकारी मोटरसाइकिल के रेल्वे स्टेशन तिराया से रवाना होकर पंचायत समिति रूपवास विकास अधिकारी कक्ष के पास पहुंचा जहां ट्रेप कार्यवाही हेतु एक कमरा उपलब्ध कराने की कहने पर विकास अधिकारी ने स्वयं के चैम्बर को कार्यवाही के लिए उपयोग करने के लिए मौखिक सहमति दी तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पृथ्वीराज से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पृथ्वीराज पुत्र श्री नत्थे सिंह जाति गुर्जर उम्र 49 साल निवासी गांव कल्याणपुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना गहनोली मोड जिला भरतपुर होना बताया, जिनसे परिवादी सुरेश से 5,000 रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछा तो आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि मैंने कोई पैसे नही लिए हैं इसके बाद परिवादी ने आरोपी की बातों का खंडन करते हुए बताया कि आज पृथ्वीराज थानेदार जी ने अभी-अभी मेरे से रेल्वे स्टेशन तिराहा के पास मेरे किराये पर लाई हुई गाडी को रोककर मुझसे खर्चा पानी के लिए कहा तो मैंने पूर्व की रिश्वत मांग के 5,000 रूपये जिसमें से दौराने सत्यापन दिनांक 20.05.25 को 2,000 रूपये दे दिये थे तथा शेष राशि 3,000 रूपये निकालकर दिए तो थानेदार जी ने मुझसे कहा कि 10,000 रूपये लूंगा जिस पर मैने मेरे पास 10,000 रूपये नही होना बताया मेरे निवेदन करने पर 5,000 रूपये लेने पर सहमत हो गये तो मैनें पाउडर लगे हुए छः नोट पांच-पांच सौ रूपये के व अन्य चार नोट पांच-पांच सौ रूपये के अपने पुत्र रामू से लेकर कुल 5,000 रूपये पृथ्वीराज थानेदार जी को दिये जिस पर पृथ्वीराज थानेदार जी ने मेरे से 5,000 रूपये लेकर अपने दोनों हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई वर्दी के पेंट बांयी जेब में रख लिए। तत्पश्चात पुनः तसल्ली देकर आरोपी पृथ्वीराज से उक्त 5,000 रूपयों के सम्बंध में पूछा तो बताया कि मैंने सुरेश से कोई रिश्वत नही मांगी इसने स्वयं दिये थे फिर पुनः बताया कि ये मेरे से पूर्व में 5,000 रूपये उधार ले गये थे। उक्त 5,000 रूपये आज मैंने लेकर अपने दोनो हाथों से गिनकर मेरी वर्दी के पेंट की बांयी जेब में रख लिए। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाकर विकास अधिकारी रूपवास के कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल में बाथरूम में लगे हुए नल से पानी मगवा कर गिलासों को साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह श्री जीतेन्द्र कश्यप से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर गिलास के घोल में पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क एल एच-1 व एल एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलास को नष्ट किया गया एवं पुनः ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकाल कर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी पृथ्वीराज के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का झलक देता हुआ गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात पुनः श्री जीतेन्द्र कश्यप से ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी पृथ्वीराज के वर्दी के पहने हुए पेंट को उतरवाकर दूसरा पायजामा टीशर्ट मंगवाकर पहनवाकर वर्दी के पेंट की बांयी जेब को उल्टा कर डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री कृष्णगोपाल के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 5,000 रूपये को लेकर उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तत्पश्चात आरोपी के पेंट रंग खाकी को सुखवा कर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पीपी' अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। तत्पश्चात जरिए मोबाइल तलब करने पर उपस्थित आए श्री विजयसिंह थानाधिकारी पुलिस थाना गहनोली मोड को आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक की सरकारी मोटर साइकिल नं0 आर.जे. 05 जे.एस. 9083 को संभलाया

गया। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.30 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी पृथ्वीराज पुत्र श्री नत्थे सिंह जाति गुर्जर उम्र 49 साल निवासी कल्याणपुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गहनौली मोड जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री सुरेश के पुत्र राजकुमार के नाम ईको गाडी जिसके पंजीयन नं0 आर0जे0 40 सीबी 5636 को न्यायलय से छुडवाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.05.2021 को 5000 रूपये रिश्वत की मांग करना व वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 2000 रूपये प्राप्त करना तथा शेष 3000 रूपये को न्यायालय से गाडी छुडाने के आदेश कराने के लेने पर सहमत होना उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 19.06.2025 को परिवादी से कस्बा रूपवास में रेल्वे स्टेशन तिराहे पर पूर्व की मॉग के फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुए 3000 रूपये व दौराने लेनदेन 2000/रूपये की अतिरिक्त मॉग कर कुल 5000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा समस्त कानूनी प्रावधान बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.00 पी.एम. पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुरेश के पुत्र राजकुमार के नाम पंजीकृत ईको गाडी नं0 आर0जे0 40 सीबी 5636 के दुर्घटना ग्रस्त होने के उपरान्त पुलिस थाना गहनौली मोड पर दर्ज प्रकरण संख्या 84/25 की पत्रावली जो आरोपी के पास मौजूद थी, का अवलोकन किया गया तो पत्रावली के पृष्ठ पर मु0 नं0 84/25 धारा 281, 152ए बीएनएस पीएस गहनौली मोड व नाम पता अभियुक्त चालक वाहन आरजे 40 सीबी 5636 तथा अन्य विवरण अंकित है। पत्रावली पेज संख्या 01 लगायत 89 है पत्रावली के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ प्रकरण संख्या 84/25 की एफआईआर है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है जिसके पेज संख्या 87 पर चालान आदेश है जिस पर चालान नं0 39 दिनांक 10.06.25 अंकित है। तथा पेज संख्या 80 पर वाहन नं0 आरजे 40 सीबी 5636 के चालक राजकुमार का न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बंध पत्र और जमानत पत्र है जिसपर परिवादी श्री सुरेश द्वारा अपने पुत्र राजकुमार की जमानत दी हुई है तथा पेज संख्या 81, 82 पर क्रमशः राजकुमार व सुरेश के आधार कार्ड की छायाप्रति है। उक्त पत्रावली की कार्यवाही हाजा में बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली की छायाप्रति कराकर मौके पर उपस्थित थानाधिकारी पुलिस थाना गहनौली मोड श्री विजय सिंह उप निरीक्षक से छायाप्रति पत्रावली को प्रमाणित कराकर मूल पत्रावली को श्री विजय सिंह को सुपुर्द की गई। प्रमाणित छायाप्रति पत्रावली के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कार्यवाही हाजा में बतौर वजह सबूत जप्त किया गया। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 05.15 पी.एम. पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 05.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी पृथ्वीराज मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 5,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना होकर समय 06.15 पी.एम. पर एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा। जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि 5,000 रूपये एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल छः , शील्ड पैन्ट पैकिट को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि नं. 68 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 06.20 पी.एम. पर श्री मुनेश कुमार उप निरीक्षक मय श्री सतेन्द्र सिंह कानि. मय गिरफ्तारशुदा आरोपी पृथ्वीराज मय सरकारी गाडी मय चालक के वास्ते कराने आरोपी का स्वाम्स्थ्य परीक्षण एवं पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात करवाने की हिदायत देकर रवाना किया जाने पर समय 07.10 पी.एम. पर बाद कराकर स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस थाना मथुरागेट में बंद हवालात कराकर वापस चौकी आया। तत्पश्चात समय 07.15 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.05.25 के माईक्रो एसडी कार्ड को कार्यालय की अलमारी से निकालकर वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 07.20 पी.एम. पर परिवादी सुरेश व आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस थान गहनोली मोड जिला भरतपुर के मध्य हुई सत्यापन वार्ता दिनांक 20.05.25 जो डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के एसडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक

प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात समय 10.30 पी.एम. पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 20.05.25 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.40 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 20.06.25 को सुबह 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा परिवादी श्री सुरेश को कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई। लेन देन वार्ता के मैमोरी कार्ड एवं डिजीटल वॉईस रिकॉडर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखा गया। इसके बाद दिनांक 20.06.25 को समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.05 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 19.06.25 के माईक्रो एसडी कार्ड एवं वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकाल कर मैमोरी कार्ड को वाईस रिकार्डर में डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है, से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 08.10 ए.एम. परिवादी सुरेश से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें परिवादी व आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक के मध्य हुई वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता वार्तालाप रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी में अनुवाद तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडियॉ तैयार की गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रतियों पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडियों को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। वाईस रिकार्डर से माईक्रो एसडी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम-1" अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व माईक्रो एसडी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैड कानि0 68 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 09.15 ए.एम. पर वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता की आई ओ सीडी जिसमें दिनांक 20.06.2025 को आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 09.25 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री राजेन्द्र सिंह कानि. नं. 106 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की दो सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर एक सीडी को सफेद कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं दूसरी सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री अवधेश कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय 09.40 ए.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 68 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री कृष्ण गोपाल को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गहनोली मोड जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री सुरेश से उसके पुत्र राजकुमार के नाम पंजीकृत ईको गाडी नम्बर आर.जे. 40 सीबी 5636 के एक्सीडेंट के बाद पुलिस थाना गहनोली मोड जिला भरतपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 84/25 जिसमें गाडी जब्त है। उक्त प्रकरण का अनुसंधान आरोपी पृथ्वीराज सहायक उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था उक्त प्रकरण में आरोपी द्वारा प्रकरण में मदद करने एवं गाडी को छुडवाने की एवज में 5,000 रूपये की मांग करना एवं दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 2,000 रूपये रिश्वत राशि लेना एवं 3,000 रूपये गाडी छुडवाने वाले दिन लेने पर सहमत होने पर उक्त मांग के अनुशरण में दिनांक 19.06.25 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर पूर्व की मॉग के 3000 रूपये व दौराने लेनदेन 2000/रूपये की अतिरिक्त मॉग कर, 3,000 रूपये फिनॉफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि एवं 2,000 रूपये बिना पाउडर युक्त रिश्वत राशि कुल 5000 रूपये की रिश्वत राशि

लेते हुए रंगे हाथो पकडे जाने एवं रिश्वत राशि कुल 5,000 रूपये आरोपी के पहने हुए वर्दी के पेंट की बांयी तरफ की साइड की जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है। (अमित सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।........कार्यवाही पुलिस ....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री नत्थे सिंह जाति गुर्जर उम्र 49 साल निवासी कल्याणपुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना गहनौली मोड जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश भारद्वाज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करौली को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 955 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 916-19 दिनांक 20.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर, 2.पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।3-उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGDISH BHARDWAJ **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/06/2025 19:...

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	10/06/1976				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)